

न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 25/2021 (फोरलेन) (आनलाईन क्रमांक 2021/00282)

उनवान

1. प्रफुल्ल चन्द ओझा पुत्र सूर्यनारायण ओझा, निवासी ओझा भवन पुर रोड, बापू नगर चौराहा, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा।
2. कैलाश चन्द ओझा पुत्र पुत्र सूर्यनारायण ओझा, निवासी 6/3 काशीपुरी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. शम्भू ओझा पुत्र पुत्र सूर्यनारायण ओझा, निवासी 6/3 काशीपुरी भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. गोपाल ओझा पुत्र सूर्यनारायण ओझा, निवासी 16/142 भदादा बाग के पीछे भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति), एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा।
2. जिलाधीश भीलवाड़ा।
3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक (सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन युनिट चित्तोडगढ़) साईट ऑफिस 6-ए, आर.सी. व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा-3जी-5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरुद्ध
अवार्ड क्रमांक फोरलेन/प्रतिकर निर्धारण/05/2017 दिनांक 27.02.2017

उपस्थित -

1. प्रार्थी अधिवक्ता - अनिल ओझा।
2. विपक्षी अधिवक्ता - हरिशचन्द्र शर्मा, विनोद कुमार शर्मा - एनएचएआई



निर्णय

दिनांक : 28-05-2025

1-

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3-जी-5 एनएच एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 3 ए (1) के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-758 (भीलवाड़ा से लाडपुरा सेक्शन) फोर लेन/चौड़ाकरण/बनाने हेतु भूमि अवाप्ति की सूचना दिनांक 01-04-2016 को अधिसूचना का.अ. 1290 (अ)8 दिनांक 01-04-2016 जारी की गयी। तत्पश्चात् विहित अधिनियम के तहत राष्ट्रीय 3 (डी) (1) के अन्तर्गत अधिसूचना 2-11-2016 को प्रकाशित की गयी। जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-758 भीलवाड़ा से लाडपुरा सेक्शन 87+250 किमी से 103+250 किमी. तक को निजी खातेदारी/सरकारी भूमियां अवाप्त की गयी। प्रार्थी की जो भूमि अवाप्त की गयी वह नोटिफिकेशन दिनांक 01-04-2016 के अनुसार ग्राम सुवाणा तहसील भीलवाड़ा में स्थित थी, जिसका खसरा नम्बर-2334 रकबा 0.2700 हेक्टर किस्म नहरी ।। अवाप्त की गयी, एवं उसका अवार्ड सक्षम अधिकारी द्वारा 1,11,30,329/- रुपये पारित किया गया जिसकी सूचना प्रार्थीगण

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा